फर्द अहकाम

न्यायालय ~~उपखण्ड अधिकारी सांगानेर~~

राहुल बनाम [illegible]

मुकदमा संख्या / वर्ष : 22 / 2022

क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	~~[illegible]~~ 2.5.22	प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा०टे०एक्ट व 151 जा०दी० श्री अशोक [illegible] द्वारा प्रस्तुत किया गया। रिपोर्ट मय मिसल के सुनी। दर्ज रजिस्टर हो अप्रार्थीगणों की तलबी [illegible] पत्रावली दि० 30-05-22 को पेश हो। [signature] उपखण्ड [illegible] सांगानेर (जयपुर)	
	30.5.22	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. दौरे पर पधारे हुए है। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 12.7.22 को पेश हो। अप्रार्थी सं. 1 व 4 की ओर से श्री सुरेश कुमार शर्मा एड. द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। जो मूल वाद में शामिल है।	
	12-7-22	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी / प्रार्थी उप है। वकील पक्षकारान उप है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 2-9-22 को पेश शेष अप्रार्थीगणों की प्रति० A/D तलबी हेतु अन्तिम अवसर दिया गया। [signature]	
	2/9/22	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. दौरे पर पधारे हुए है। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 11.11.22 को पेश हो। श्रीमान जिला कलक्टर महो. जयपुर के आदेशानुसार मूल पत्रावली नव सृजित न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर को प्रेषित की / जाती है।	
	11.11.22	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी / अप्रार्थी उपस्थित। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 20/01/23 को पेश हो। [signature]	
	20/1/23	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी सं. 1 व 4 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा। [illegible] आपत्ति में अन्तिम अवसर दिया जाता है। शेष अप्रार्थी गण को तामील हेतु [illegible] पेश होने पर जारी Reg. Ad जारी होकर पत्रावली दिनांक 8/3/23 को पेश हो। [signature]	

न्यायालय ______________________

______________________ बनाम ______________________

मुकदमा संख्या/वर्ष : ______________________/20______

क्र0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	वि
	3/3/23	पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषक संघ ने कार्य स्थगित रखा है। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 20/3/23 को पेश हो।	
	20/3/23	पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषक संघ ने कार्य स्थगित रखा है। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 17/4/23 को पेश हो।	
	17/4/23	पत्रावली पेश हुई। [illegible] प्रार्थी का मूल वाद आदेश 9 नियम 3 CPC के तहत खारिज किया जा चुका है। अतः इसके अंतर्गत प्रकरण भी आदेश 9 नियम 3 CPC में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। 17/4/23	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक जिला जयपुर राज0

महोदय जी,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि

1- क्या यह क्षेत्राधिकार में है। हाँ

2- क्या पर्याप्त मुद्रांक पर है। हाँ

3- क्या अंकित तथ्य कार्यवाही के हैतुक को प्रकट करते है। हाँ

4- क्या मियाद बाहर है। नहीं

5- क्या वाद से सम्बन्धित सभी को पक्षकार बनाया गया है तथा सही रूप से अंकित किया गया है। हाँ

6- क्या वाद पत्र में निरर्थक बात लिखी है या अन्यथा पपंची है। नहीं

7- क्या आदेश 7 का पालन किया है। हाँ

8- क्या दावे के साथ नवीनतम जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है। हाँ

9- क्या इस आशय का शपथ पत्र संलग्न है कि प्रार्थी जिस जमाबंदी के आधार पर यह दावा प्रस्तुत कर रहा है वाद में भूमि अथवा इसके भाग का बेचान अन्य किसी व्यक्ति को नहीं किया गया है। नहीं

10- क्या बंट्वारे के दावे में समस्त सह खातेदारो को पक्षकार बना लिया गया है। हाँ

11- क्या राज्य सरकार अथवा जिला कलेक्टर पार्टी है। हाँ

12- क्या दावे के प्रत्येक पेज पर प्रार्थी के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी है। हाँ

13- क्या राजस्व भूमि शहर क्षेत्र की है यदि हो तो क्या सम्बन्धित शहरी को पक्षकार बनाया है। नहीं

14- क्या वाद पंजीकृत विलेख को निरस्त करवाने बाबत है। नहीं

15- क्या भूमि का विक्रय अनुबन्ध (AGREEMENT TO SALE) है। अंकित नहीं है

16- क्या वाद ऐसी भूमि से सम्बन्धित है जिसका राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90 के अंतर्गत संपरिवर्तन किया गया है। अंकित नहीं है

17- क्या दर्ज किया जाना उचित है।

उचित आदेशार्थ। 11.4.22

श्रीमान् एस0डी0एम0 साहब